भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 724

जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव

724. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में निर्मित और निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की लंबाई कितनी है;

(ख) सरकार राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना, किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को किस प्रकार एकीकृत किया जा रहा है; और

(ङ) दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए क्या पहल की जा रही है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की कुल लंबाई नवंबर, 2025 तक लगभग 4073 किमी है। वर्तमान में लगभग 13,900 किलोमीटर की कुल लंबाई निर्माणाधीन है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने विभिन्न पहलें की हैं। "इनमें "भूमिराशि" पोर्टल और जीआईएस-आधारित भूमि अधिग्रहण योजना का उपयोग करके भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित करना और वन और पर्यावरणीय मंजूरी की त्वरित सुविधा के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से "परिवेश" पोर्टल में सुधार करना, रेलवे से सड़क ऊपरिपुल/ सड़क अधोगामि पुल(आरओबी/आरयूबी) के लिए सामान्य आरेखण व्यवस्था (जीएडी) के ऑनलाइन अनुमोदन को सक्षम करना और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में बाधाओं/अवरोधों की समीक्षा और समाधान के कार्य तंत्र का लाभ उठाना शामिल है। सरकार ने विभिन्न अनुमोदनों के लिए निर्धारित समयसीमा के साथ रेलवे से संबंधित मंजूरी के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है।

सरकार ने परियोजना की प्रगति और संविदाकार की अक्षमताओं की निगरानी के लिए कई तंत्रों का उपयोग करके एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। परियोजना की प्रगति और महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे कि तीन साल से अधिक की देरी या सौंपे जाने/नियुक्ति के लिए लंबित का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कई राज्य सरकारें परियोजना के निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में समन्वय बैठकें आयोजित करती हैं। जिन परियोजनाओं के मुद्दों का समाधान नहीं हो पाता है, उन्हें परियोजना निगरानी समूह और "प्रगति" के माध्यम से आगे की समीक्षा के लिए बढ़ाया जाता है।

(ग) सभी राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य मानकों, दिशानिर्देशों, मैनुअल, भारतीय सड़क कांग्रेस की आचार संहिता के साथ-साथ सड़क और पुल कार्यों के लिए विनिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की नियमित सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, प्रारंभण पूर्व चरण पर लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

ब्लैक स्पॉट का सुधार करना एक निरंतर प्रक्रिया है और तत्काल आधार पर अस्थायी उपाय किए जाते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएचएस) पर चिन्हित कुल 13,795 ब्लैकस्पॉट में से 11,866 ब्लैक स्पॉट पर अल्पकालिक सुधार पूरा किया गया है। सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा यथा संस्तुत दीर्घकालिक सुधार उपाय, केवल आवश्यक समझे जाने वाले स्थानों पर लागू किए जाते हैं। तदनुसार, 5,324 ब्लैक स्पॉट पर दीर्घकालिक उपाय पूरे किए गए हैं, जबकि 3,719 ब्लैक स्पॉट का आकलन किया गया है क्योंकि उन्हें इस तरह के दीर्घकालिक उपाय की आवश्यकता नहीं है।

दीर्घकालिक सुधार कार्यों में सड़क ज्यामिति, जंक्शन सुधार, कैरिजवे का स्पॉट चौड़ीकरण, अंडरपास/ ओवरपास का निर्माण आदि कार्य आते हैं जिनमें भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण जैसी निर्माण पूर्व गतिविधियां शामिल हैं जिसमें काफी समय लगता है। इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट प्रणाली शुरू की गई है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना स्थल तुरंत देखे जाते हैं। तदनुसार फील्ड अधिकारियों द्वारा तुरंत ऐसे स्थानों का दौरा किया जाता है और उचित अल्पकालिक उपाय किए जाते हैं।

दुर्घटना पीड़ितों की मृत्यु को कम करने के लिए, सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के कानूनी जनादेश के अनुसार, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के नगदी-रहित(कैशलेस) उपचार के लिए अखिल भारतीय योजना शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार उपलब्ध करने और बहुमूल्य जीवन के नुकसान को रोकने के लिए आपातकालीन देखभाल परि तंत्र को सुदृढ़ बनाना है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार की योजना वर्तमान में 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् चंडीगढ़, असम, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पुडुचेरी में प्रायोगिक आधार पर क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुकूलन के लिए लागू की गई है।

i. इसके अतिरिक्त, सरकार ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार

की है। सड़क सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) सुरक्षा, दक्षता और वास्तविक समय की निगरानी में सुधार के लिए सड़क यातायात प्रबंधन में प्रौद्योगिकी को तेजी से एकीकृत किया जा रहा है। देश में यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यातायात नियमों के प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए सरकार समय-समय पर मोटर यान अधिनियम में संशोधन लाती है। सरकार ने अगस्त 2021 में मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, देश में एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम वाले और उच्च घनत्व वाले गलियारों में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम प्रकाशित किए। इन नियमों का प्रवर्तन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों के दायरे में आता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने चरणबद्ध तरीके से चार लेन और उससे अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में राष्ट्रीय रोल आउट के लिए क्षेत्रवार कार्यान्वयन उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) की स्थापना की है। एटीएमएस में राजमार्ग खंडों की निगरानी के लिए एआई आधारित वीडियो घटना का पता लगाने सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों के प्रावधान हैं, जो राजमार्ग खंडों पर घटनाओं (यातायात उल्लंघन सहित) की त्वरित पहचान में मदद करते हैं और राजमार्गों की प्रभावी निगरानी करते हैं, जिससे घटना प्रतिक्रिया समय और सड़क सुरक्षा में सुधार होता है। सरकार द्वारा प्रमुख उच्च घनत्व वाले राजमार्ग गलियारों पर पायलट आधार पर पांच एटीएमएस परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक निरंतर प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास/क्षमता वृद्धि कार्य सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य सहित जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों को संपर्कता प्रदान करना शामिल है, यातायात घनत्व, संपर्कता की आवश्यकता, सड़क की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में, देश में लगभग 7.70 लाख करोड़ रुपये की लागत से लगभग 28,000 किलोमीटर में 1,208 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,522 किलोमीटर के विकास कार्य भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में प्रारंभ से अंतिम छोर तक संपर्कता, सुगमता, सार्वजनिक सुविधा में सुधार के लिए रोपवे के नेटवर्क का विकास भी किया है।

अनुलग्नक

'राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव' के संबंध में श्री अनूप संजय धोत्रे द्वारा दिनांक 04.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 724 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित **अनुलग्नक**।

सड़क सुरक्षा मुद्दे के समाधान के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण:-

(क) शिक्षा:

i. सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सड़क सुरक्षा प्रचार व्यवस्था योजना लागू करना।
ii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।
iii. पूरे देश में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना हेतु एक योजना लागू करना।

(ख) इंजीनियरिंग:

ख.1 सड़क इंजीनियरिंग

i. सभी राजमार्गों (एनएच) का तृतीय पक्ष के लेखा परीक्षक/विशेषज्ञों के माध्यम से सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित करने और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता।
iii. मंत्रालय के अधीन आने वाली सड़क स्वामित्व एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को आरएसए और अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख करने के लिए नामित किया गया है।
iv. पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।
v. एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइनेज के प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन मिल सके।

vi. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में विफल रहने के बारे में मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किए गए हैं।

ख.2 वाहन इंजीनियरिंग:

वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहलें की गईं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान।

ii. मोटर साइकिल पर सवारी करने या उस पर ले जाए जाने वाले चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित निर्धारित मानदंड। इसमें सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को भी निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखा गया है।

iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के फिटमेंट के लिए अनिवार्य प्रावधान:-

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

- ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)
- सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड
- अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

क. रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए अनिवार्य एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. दो पहिया, तिपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति सीमित करने वाली विशिष्टता/गति सीमित करने वाला उपकरण अनिवार्य किया गया।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए गए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। इन नियमों में 31.10.2022 और 14.03.2024 को और संशोधन किया गया है।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की गई और पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की एक योजना तैयार की गई।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा को शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के विनिर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से अधिक नहीं के सकल वाहन भार वाला माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक सकल वाहन भार वाला माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन के लिए अनिवार्य एयर कंडीशनिंग प्रणाली लगाना अनिवार्य।

xii. दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से एम, एन और एल7 श्रेणी के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबलियों, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और नियंत्रण प्रणाली संस्थापन के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमांइडर के मानकों के संशोधन के लिए नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों को एआईएस-145-2018 के अनुसार आगे की ओर वाली सभी पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

(ग) प्रवर्तन

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान करता है।

ii. सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए जारी नियम भारत में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आने वाले शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाने के लिए विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं।

iii. 10 जून, 2024 को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी जारी की गई।

(घ) आपातकालीन देखभाल:

i. ऐसे नेक व्यक्ति (गुड समारिटन) की सुरक्षा के लिए नियम प्रकाशित किए गए हैं, जो सद्भावनापूर्वक, स्वेच्छा से और किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा किए बिना दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है।

ii. हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक)।

iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर पर टोल प्लाजा पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस का प्रावधान किया है।

*****